भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1812
दिनांक 06 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

जन औषधि केन्द्रों द्वारा ब्रांडयुक्त दवाइयों की बिक्री

1812. श्री सुशील कुमार गुप्ता:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश के भिन्न-भिन्न भागों में ब्रांडयुक्त महंगी दवाइयां बेचने वाले जन औषधि केन्द्रों के बारे में कोई सूचना है;
(ख) क्या सरकार के पास इन केन्द्रों में जेनेरिक दवाइयों की कमी के बारे में भी कोई सूचना है; और
(ग) यदि हां, तो इन दवाइयों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए गए हैं ताकि जरूरत मंद लोगों को ब्रांडयुक्त दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर न किया जाए?

उत्तर
रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा)

(क): प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत सभी के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए देश भर में विशेष आउटलेट नामत: जन औषधि केन्द्र खोले जा रहे हैं। इन आउटलेट्स को पीएमबीजेपी के तहत प्रदान की जाने वाली दवाओं के साथ-साथ संबद्ध चिकित्सा उत्पादों को बेचने की अनुमति है, जो पीएमबीजेपी की कार्यान्वयन एजेंसी भारतीय पीएसयू फार्मा ब्यूरो (बीपीपीआई) की उत्पाद बास्केट में उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, कुछ मामलों की रिपोर्ट आई है जहां ये आउटलेट ब्रांडेड दवाएं बेचते पाए गए हैं। बीपीपीआई द्वारा इन मामलों की जांच की गई और स्पष्टीकरण मांगते हुए केंद्र मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। आज तक, बीपीपीआई ने ब्रांडेड दवाइयां बेचने के आधार पर 6 जनऔषधि केंद्रों को बंद कर दिया है।

(ख): पीएमबीजेपी की उत्पाद बास्केट में 900 से अधिक दवाएं और 154 सर्जिकल उपकरण हैं। मांग में रुझान का पता लगाने के लिए आधुनिक आईटी आधारित पूर्वानुमान प्रणाली कार्यान्वित की जाती है। इन रुझानों के आधार पर दवाओं की खरीद के लिए खरीद आदेश जारी किए जाते हैं। तथापि, बोलियों के अभाव में वैध दर अनुबंध की अनुपलब्धता के कारण कुछ कमियां पाई गई हैं। बोलीदाताओं की अनुपस्थिति के कारण वर्तमान में 149 दवाओं और 34 सर्जिकल उपकरणों के लिए कोई वैध दर अनुबंध नहीं है।

(ग): आईटी - सक्षम एसएपी आधारित पूर्वानुमान प्रणाली को दवाओं के पूर्वानुमान में सुधार के लिए लागू किया गया है। इस प्रणाली द्वारा की गई मांग के अनुसार नियमित निविदा जारी की जाती है। सभी खरीद आदेश जारी किए जाते हैं और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित टीम द्वारा इसका अनुसरण किया जाता है। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वितरण में देरी के लिए विलंब वितरण शुल्क लगाया जाता है। मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए पीएमबीजेपी में पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) एप्लिकेशन के साथ एक सिरे से दूसरे सिरे तक आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली कार्यान्वित की गई है। दवाओं के भंडारण और वितरण के लिए बीपीपीआई के गुरुग्राम, गुवाहाटी और चेन्नई में आधुनिक गोदाम हैं। इन गोदामों से देश भर के सभी केंद्रों को दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। जनऔषधि केंद्रों पर दवा की आपूर्ति करने के लिए बीपीपीआई के पास राज्य स्तर पर 50 वितरक हैं।

*****